न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 –30/2021(2021/00052)

अनवान : –

प्रदीप कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. कमलेश पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. बबीता पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. सुमन पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
5. किरण पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री लीलाधर अग्रवाल वादी
श्री कृष्ण भारी प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 02/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 जेएसएल सम्वत 2073–76 के वर्तमान खाता संख्या 257/240 के मुरब्बा न0 90 के किला न0 21, 22, मु0 न0 96 के किला न0 1 ता 4, 6 ता 20, मु0 न0 99 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 23, मु0 न0 113 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 11 इस प्रकार कुल किता 39 की कुल 9.1070 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल के नाम 1/3 हिस्सा व इसी प्रकार चक 1 जेएसएल सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 108/108 के मु0 न0 27 के किला न0 19 ता 22, मु0 न0 28 के किला न0 16 ता 25, मु0 न0 37 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 मु0 न0 38 के किला न0 1 ता 25 इस प्रकार कुल किता 36 की कुल 9.108 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:35:24 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा बेगराज की खातेदारी हुआ करती थी। बेगराज से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी मोहनलाल ने कर्ता खानदान

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी मोहनलाल ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी मोहनलाल के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल को वादी के दादा बेगराज से विरासतन प्राप्त हुई है। खतौनी जमाबन्दी चक 5 जेएसएल सम्वत 2029–38 खाता संख्या 64 एवं चक 1 जेएसएल के सम्वत 2029–38 के खाता संख्या 25 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जंन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 2 ता 5 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी प्रदीप कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 5 जेएसएल सम्वत 2073–76 खाता संख्या 257/240 प्रदर्श 1, जमाबनदी चक 1 जेएसएल सम्वत सम्वत सम्वत 2071–74 खाता संख्या 108/108 प्रदर्श 2, भू प्रबंध विभाग जमाबन्दी चक 5 ज़ेएसएल सम्वत 2029–38 खाता संख्या 64 प्रदर्श 3, भू प्रबंध विभाग जमाबन्दी चक 1 जेएसएल सम्वत 2029–38 खाता संख्या 25 प्रदर्श 4, सरपंच ग्राम पंचायत झांसल द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, पीपीओ डायरी मोहनलाल प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस बकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की बहिनें है जिन्होंने अपना हक व हिस्सा वादी को तर्क अंकित किया हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:35:24 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 5 जेएसएल सम्वत 2073–76 के वर्तमान खाता संख्या 257/240 के मुरब्बा न0 90 के किला न0 21, 22, मु0 न0 96 के किला न0 1 ता 4, 6 ता 20, मु0 न0 99 के किला

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 23, मु0 न0 113 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 11 इस प्रकार कुल किता 39 की कुल 9.1070 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल के नाम 1/3 हिस्सा व इसी प्रकार चक 1 जेएसएल सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 108/108 के मु0 न0 27 के किला न0 19 ता 22, मु0 न0 28 के किला न0 16 ता 25, मु0 न0 37 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 मु0 न0 38 के किला न0 1 ता 25 इस प्रकार कुल किता 36 की कुल 9.108 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 जेएसएल सम्वत 2073–76 के वर्तमान खाता संख्या 257/240 के मुरब्बा न0 90 के किला न0 21, 22, मु0 न0 96 के किला न0 1 ता 4, 6 ता 20, मु0 न0 99 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 23, मु0 न0 113 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 11 इस प्रकार कुल किता 39 की कुल 9.1070 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल के नाम 1/6 हिस्सा व इसी प्रकार चक 1 जेएसएल सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 108/108 के मु0 न0 27 के किला न0 19 ता 22, मु0 न0 28 के किला न0 16 ता 25, मु0 न0 37 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 मु0 न0 38 के किला न0 1 ता 25 इस प्रकार कुल किता 36 की कुल 9.108 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल के नाम 1/6 हिस्सा में से वादी प्रदीप कुमार को 5/6 व प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल को 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 द्वारा वादी के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:35:24 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 02/10/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़